130

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निग-1769-III-14

265
21.5.14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

मो0 इसहाक खॉ तनय श्री बाकर खां निवासी ग्राम अमिरती, तह0 गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) .... *निगरानीकर्ता*

बनाम

1. अब्दुल तालिब तनय मो. कासिम खॉ, निवासी ग्राम अमिरती, तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0)
2. ज्ञानबाई पटेल पत्नी बाल्मीक पटेल निवासी ग्राम पांती तह0 गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) ....*गैरनिगरानीकर्तागण*

श्री हेमकुमार श्रीनिवासी एड० द्वारा आज दिनांक 22.05.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध अंतरिम आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तह0 गुढ़ प्र0क0 47/अ–6–अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 08.05.14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0 संहिता 1959 ई0।

क्रमांक 1946
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक............का प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानीकर्ता का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

यह कि आराजी नं. 117/1, 117/2, 118/1 व 118/2 कुल रकवा 0.51 ए0 ग्राम महाडाड़ी, तह0 गुढ़ जिला रीवा में स्थित है जिन आराजियों को निगरानीकर्ता ने गैर निगरानीकर्ता क. 1 अब्दुल तालिब से वर्ष 1995 में कय किया था। कय उपरांत उपरोक्त भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन अभिलेखों में उसका नाम अंकित नहीं था जिसके कब्जा बावत् उसने आवेदन तहसील न्यायालय गुढ़ में प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय द्वारा अनावेदकगणों को विधिवत नोटिस जारी की गई थी। गैर निगरानीकर्ता क. 1 अब्दुल तालिब ने उपस्थित होकर अपनी सहमति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। गैर निगरानीकर्ता क. 2 ज्ञानबाई पटेल नोटिस लेने से इंकार कर दिया था जिस पर न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से उक्त भूमियों का स्थल पंचनामा प्राप्त किया था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1769–III/14 जिला–रीवा

मो0 इसहाक खां/अब्दुल तालिब व अन्य

(1)	(2)	(3)
26.04.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	